(128)

पत्रांक : 14 / जा0नि0–03–13 / 2016 का०.6763./

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 05/08/16

विषय :– जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार इस विभाग के पत्र सं0–9963, दिनांक–20.11.2015 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विस्तृत अनुदेश निर्गत है (प्रति संलग्न)। राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान तय करते हुए पत्र सं0–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुदेश जारी किये जा चुके हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्य स्पष्ट किया जाना है :–

1. शिक्षण संस्थानों में नामांकन एवं नियोजन में आरक्षण की सुविधा राज्य के मात्र अधिवासी को तब उपलब्ध है, जब उनकी जाति / समुदाय राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) या पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के रूप में वर्गीकृत हो। (एकीकृत बिहार सरकार का पत्रांक–70, दिनांक–11.06.1996 तथा पत्र सं0–5448, दिनांक–12.09.2011)

2. गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र–B.C.-16014/1/82-S.C. and B.C.D.-I, दिनांक–22.02.1985 के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने, आजीविका प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आकर बस जाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसे उनके निवास स्थान के राज्य में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे लोग आव्रजित श्रेणी में आते हैं और इन्हें अनुमान्य आरक्षण की सुविधा उनके मूल राज्य में ही उपलब्ध होगी। (पत्रांक–3557, दिनांक–18.10.2005)

हालाँकि ऐसे लोगों को जाति प्रमाण पत्र इस राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा उनके पिता को जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत हो सकता है जिसमें उनके मूल राज्य का नाम अंकित हो।

अन्य राज्य के ऐसे लोगों को झारखण्ड राज्य में आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं है।

126

3. झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा से अच्छादित हर व्यक्ति इस राज्य में स्वतः आरक्षण की सुविधा पाने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

उपर्युक्त पृष्ठ भूमि में एक बार पुनः निदेश दिया जाता है कि :–

i. सामान्यतया रेकर्ड ऑफ राइट्स/भू–अभिलेख/पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/निबंधन कागजातों के आधार पर जाति का निर्धारण करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय। (पत्रांक–3540, दिनांक–03.07.2004)

ii. यदि आवेदक की जाति के सम्बन्ध में किये गये दावे के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाय तो विभागीय पत्रांक–1853, दिनांक–25.02.2015 मे विहित प्रक्रिया अपनाकर उस व्यक्ति के जाति का निर्धारण किया जा सकता है और सक्षम पदाधिकारी अपनी संतुष्टि के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर सकते हैं।

iii. जब तक यह संतुष्टि नहीं हो कि आवेदक या उनके पूर्वज वास्तव में इस राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के समय से स्थायी रूप से निवास करते आ रहे हैं, या अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (1) और पिछड़ा वर्ग के मामले में वर्ष–1978 से स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं, तब तक जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाये।

iv. किसी भी स्थिति में एक ही परिवार के भिन्न–भिन्न सदस्यों को अलग–अलग जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो। सभी सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराया जाय और दोषी पाये जाने पर इसे आपराधिक षड़यन्त्र मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

v. जाति प्रमाण पत्र में जाति/समुदाय का नाम उसी रूप में जाति का नाम अंकित किया जाना सुनिश्चित की जाय जिस रूप में जाति की सम्बद्ध सूची में नाम अंकित है, इसके वर्तनी (Spelling) में परिवर्तन भी अनुमान्य नहीं है।

vi. जाति प्रमाण पत्र हर हाल मे उसी विहित प्रपत्र में निर्गत की जाय, जो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत है।

विश्वासभाजन

5/8/16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14/जा0नि0–03–13/2016 का० 6763/ रांची, दिनांक– 05/08/16

प्रतिलिपिः– सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 14/जा0नि0–03–13/2016 का० 6763/ रांची, दिनांक– 05/08/16

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/16

सरकार के प्रधान सचिव।